अति महत्वपूर्ण

संख्या–85/60–3–11–3(42)/97

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन
2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 24 जनवरी,2011

विषयः– कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न प्रतिषेध आदि के संबंध में।

महोदय,

रिट पिटीशन संख्या–(सि0मि0) 665–70/92 विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 13–8–1997 के निर्णय में संविधान की धारा–32 एवं 141 के अन्तर्गत उपरोक्त विषय पर कतिपय मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं मापदण्ड प्रतिपादित किये थे और उसी क्रम में संविधान की धारा 141 के अधीन कानून घोषित किया गया। इस संबंध में महिलाओं के यौन उत्पीड़न व मानसिक यातनाओं के निवारण हेतु प्रदेश के सभी कार्यालय/विभागों में शिकायत समिति गठित करने एवं समिति की वार्षिक रिपोर्ट बनाने के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में तत्कालीन प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती मंजुलिका गौतम के अर्धशासकीय पत्र संख्या–696/60–3–97–3(42)/97, दिनांक 28–11–1997 द्वारा मा0 न्यायालय के निर्णय का परीक्षण करा कर अपने विभाग से संबंधित नियमों/कानूनों में अपेक्षित संशोधन कराने हेतु अधीनस्थ सभी सरकारी प्रतिष्ठानों/संगठनों को भी अवगत करा कर कड़ाई से अनुपालन कराने के आवश्यक निर्देश जारी किये गये।

2– कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध अधिनियम तथा इसी के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देश सरकारी/अर्धसरकारी विभागों, निगमों, उपक्रमों, निकायों, सोसाइटीज, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सहकारी समितियाँ जो अधिनियम 1965 में पंजीकृत हैं तथा निजी क्षेत्र (श्रम विभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र), सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों तथा कालेजों/विश्वविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों में भी लागू किया गया ताकि उत्पीड़न से संबंधित उपरोक्त "ला आफ द लैण्ड" का क्रियान्वयन सशक्त रुप में कार्यान्वित हो सके।

3– मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक कार्यालय/संस्थान(निजी सरकारी/अर्धसरकारी) में शिकायत समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा :–

(1) महिला सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के आधी से कम नहीं होगी।
(2) इस समिति का अध्यक्ष एक महिला सदस्य को बनाया जायेगा।
(3) एक गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रतिषेध के क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रतिष्ठित हो, को भी इस समिति का सदस्य बनाया जायेगा।

उपरोक्त समिति को अपने कार्य को सुचारु रुप से करने हेतु एक आवश्यक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट संबंधित संस्थान द्वारा प्रदान की जायेगी।

4– यह समिति अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट बनायेगी और उस संस्थान के यौन उत्पीड़न के मामलों और उनके प्रकाश में आने पर कृत कार्यवाही का विवरण तथा अपने सुझाव संस्था के मुख्य कार्यकारी को प्रस्तुत करेगी।

5– संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इस संबंध में एक सुस्पष्ट विवरण, जिसमें उनके द्वारा कृत कार्यवाही तथा शिकायत समिति की रिपोर्ट संलग्न हो, राज्य सरकार के संबंधित विभाग को उपलब्ध करायेगी।

निजी क्षेत्र के संस्थानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिकायत समिति की रिपोर्ट तथा कृत कार्यवाही का विवरण अपनी सामान्य सभा की मीटिंग में प्रस्तुत करेंगें।

6– इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के अनुक्रम में तत्कालीन सचिव,महिला एवं बाल विकास विभाग,उ0प्र0 के परिपत्र संख्या–679/60–3–97–(42)/97, दिनांक–28–11–1997, दिनांक–30.3.2001 एवं परिपत्र संख्या–241भा0स0/60–3–03–3(42)/97, दिनांक 22.10.03तथा महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 के पार्श्वांकित पत्रों द्वारा शिकायत समिति की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु अभी तक कतिपय विभागों से ही मात्र शिकायत समितियों के गठन करने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। समिति की वार्षिक रिपोर्ट किसी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है जबकि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत सरकार से निरंतर अनुपालन आख्या/प्रगति रिपोर्ट मांगी जा रही है।

1–पत्र सं0–701/60–3–01–3(42)/97, दिनांक 16.4.01
2–पत्र सं0–169/60–3–01–3(42)/97, दिनांक 30–7–01
3–पंत्र सं0–2762/60–3–05–3(42)/97, दिनांक 29–12–2005
4–पत्र सं0–2054/60–3–10–3(42)/97 दिनांक 22–11–2010

7– अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ/विभागों/कार्यालयों से प्रश्नगत प्रकरण में वांछित सूचनाएं समयबद्व रुप से प्राप्त कर संकलित सूचना अविलम्ब निदेशक, महिला कल्याण विभाग (नोडल अधिकारी) को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मा0 उच्चतम न्यायालय तथा मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार को प्रगति से अवगत कराया जा सके। चूकिं प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या–85(1)/60–3–11–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों, उ0प्र0 को सार्वजनिक उपकमों/निगमों के संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु।

2– प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को श्रमिकों, औद्योगिक कर्मचारियों एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के संदर्भ में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।

3– प्रमुख सचिव, शिक्षा,उ0प्र0 शासन को विश्व विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक/बेसिक शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु।

आज्ञा से,

24.1.2011

(डा0 प्रभा मिश्रा)
उप सचिव।